राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी आई॰ए॰एस॰)

प्रकरण संख्या 101/2017 अपील

उनवान

1. श्री रामचन्द्र पिता हरला बैरवा निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

1. श्री भगवानलाल पिता मोहनलाल बैरवा, निवासी मालीखेडा, तहसील माण्डलगढ़
2. श्रीमती जैतून पत्नी अबदुल अजीज सोरगर मुसलमान, निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ़
3. श्री अब्दुल हकीम पिता मो0 इस्माईल लुहार मुसलमान, निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ़

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा बप्रकरण सं. 11/2014 भगवान लाल बनाम जेतून अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 183(बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 27.11.2015

उपस्थित —

1. श्री रामावतार गौतम अधिवक्ता — अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री हरिओम सनाढ्य अधिवक्ता — रेस्पोडेण्ट सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक :— 31.10.2018

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार माण्डलगढ प्रकरण सं. 11/2014 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 27.11.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 एवं 3 के विरूद्ध तहसीलदार माण्डलगढ़ के यहां एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा—183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि उसके नाम ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का बीगोद तहसील माण्डलगढ़ के सरहद में आ0सं0 704 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा व 710 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

19 बिस्वा भूमि स्थित हैं, जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी जेतून, अब्दुल हकीम व रामचन्द्र ने आ0सं0 704 पर लगभग 3 बीघा पर व 710 पर 1 बीघा पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 183(बी) आ.टी.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया। इस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 का प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपीलांट्स को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के तहत विधिवत अतिक्रमी घोषित किया जाकर दिनांक 27.11.2015 को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया।

उक्त निर्णय दिनांक 27.11.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलांट्स का विवादित आराजियात पर कोई अतिक्रमण नही होकर वैध कब्जा है। अपीलार्थी ने अपनी आ0सं0 703 व 711 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहां पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके प्रकरण सं. 515/2016 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 16.06.2016 से पत्थरगढी के आदेश जारी हुए लेकिन अपीलार्थी की आ0सं0 703 व 711 की तहसीलदार माण्डलगढ़ ने पत्थरगढ़ी नहीं की है। अपीलार्थी आ0सं0 703 व 711 पर अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर अपनी आ0सं0 704 व 710 की गलत तरीके से अपीलार्थी की आ0सं0 703 व 711 के राजस्व नक्शे में तरमीम करवा दी गई जिससे यह विवाद उत्पन्न हो गया। अपीलांट की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं. 1 की भूमि पर कोई कब्जा पाया जाता है तो अपीलार्थी कब्जा छोडने के लिए तैयार है। अपीलार्थी को जबरन बेदखल किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करवाया जाए।

अपीलांट की अपील दिनांक 11.12.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किए। रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही होने पर दिनांक 16.05.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ ने प्रकरण सं0 11/2014 निर्णय दिनांक 27.11.2015 की मूल पत्रावली पत्र क्रमांक/ राजस्व /2018/1831 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा प्रेषित की जो इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2018 को प्राप्त हुई।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित बिन्दुओं के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

अपीलांट की अपील का अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 11/2014 निर्णय दिनांक 27.11.2015 का परीक्षण किया गया। न्यायालय के उक्त प्रकरण में भगवानलाल पिता मोहनलाल निवासी मालीखेडा हाल तहसील माण्डलगढ. द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी.ए. का जेतून, अब्दुल हकीम, रामचन्द्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आ0सं0 704 व 710 पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना पाये जाने से बेदखली के आदेश पारित किए गए है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अपनी खातेदारी आ0सं0 703 व 711 की पत्थरगढ़ी उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के आदेश दिनांक 16.06.2016 के अनुसार करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया है जबकि तहसीलदार माण्डलगढ को अपीलार्थी की आराजी व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के आराजियात की पत्थरगढी कार्यवाही करने के पश्चात ही पक्षकारान की सुनवाई की जाकर 183(बी) के प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार माण्डलगढ को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ के प्रकरण सं. 11/2014 निर्णय दिनांक 27.11.2015 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की आराजी व रेस्पोडेन्ट सं0 1 की आराजियात की पत्थरगढी कार्यवाही करने के पश्चात पक्षकारान की सुनवाई की जाकर धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में विधिवत पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31 .10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा